उत्तर प्रदेश सरकार

न्याय विभाग अनुभाग-7

संख्या 39/एस. एल. एस. ए. 104-97

लखनऊ, 11 सितम्बर, 1997

अधिसूचना

सा.प.नि.- 98

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (अधिनियम संख्या 39 सन् 1987) की धारा 29-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण निम्नलिखित विनियमावली बनाते है।

उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति विनियमावली, 1997

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ

(1) यह विनियमावली उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति विनियमावली, 1997 कहा जायेगा।

(2) यह सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनाँक से प्रवृत्त होगी।

परिभाषाएं

2. जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो इस विनियमावली में :-

(क) “अधिनियम" का तात्पर्य विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 से है;

(ख) "सहायता प्राप्त" व्यक्ति का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जिसको विधिक सहायता, विधिक सलाह या विधिक सेवायें किसी भी रूप में उपलब्ध कराई गई हों;

(ग) “मुख्य न्यायमूर्ति" का तात्पर्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से है;

(घ) "अध्यक्ष" का तात्पर्य उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष से है;

(ङ) "समिति" का तात्पर्य उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति से है;

(च) "केन्दीय प्राधिकरण" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण से है;

(छ) "उच्च न्यायालय" का तात्पर्य उच्च न्यायालय, इलाहावाद से है;

(ज) "विधिक सेवा" के अन्तर्गत किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकरण या अधिकरण के समक्ष किसी मामले या. अन्य विधिक कार्यवाही के संचालन में कोई सेवा प्रदान करना और किसी विधिक विषय में सलाह देना भी है:

(झ) "लोक अदालत" का तात्पर्य अधिनियम के अध्याय 6 के अधीन आयोजित लोक अदालत से है;

(ञ) "सदस्य" का तात्पर्य राज्य समिति के सदस्य से है;

(ट) "नियमावली" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियमावली, 1996 से है;

(ठ) "सचिव" का तात्पर्य उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के सचिब से है;

(ड) 'धारा" का तात्पर्य अधिनियम की धारा से है;

(ढ) "राज्य प्राधिकरण" का तात्पर्य धारा 6 के अधीन गठित उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से है।

अध्याय दो

समिति के सदस्य, कृत्य सचिव और निधियाँ

3. उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के सदस्य

1. समिति के निम्नलिखित पदेन सदस्य होंगे :-

(क)	उच्च न्यायालय का एक आसीन न्यायाधीश (मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित)	अध्यक्ष
(ख)	इलाहाबाद में राज्य सरकार का ज्येष्ठतम मुख्य स्थायी अधिवक्ता	सदस्य
(ग)	लखनऊ में राज्य सरकार का ज्येष्ठतम मुख्य स्थायी अधिवक्ता	सदस्य
(घ)	अध्यक्ष, हाईकोर्ट, बार एसोसियेशन, इलाहाबाद	सदस्य
(ङ)	अध्यक्ष, एडवोकेट एसोसियेशन हाईकोर्ट, इलाहाबाद	सदस्य
(च)	अध्यक्ष, अवध बार एसोसियेशन, लखनऊ	सदस्य
(छ)	निबन्धक, उच्च न्यायालय	सदस्य

(ज) अपर निबन्धक, उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ, लखनऊ सदस्य

2. मुख्य न्यायाधीश उप विनियम (3) में विनिर्दिष्ट अनुभव और अर्हता रखने वाले व्यक्तियों में से नौ से अधिक अन्य संदरयों को नाम निर्दिष्ट कर सकते हैं।

3. कोई व्यक्ति सदस्य के रूप में तब तक नाम निर्दिष्ट किये जाने के लिये अर्ह न होगा जब तक कि वह :-

(क) कोई ऐसा प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता न हो, जो समाज के कमज़ोर वर्गों, जिसमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों महिलायें, बच्चे, ग्रामीण और शहरी मजदूर भी सम्मिलित हैं, के उत्थान में लगा हुआ हो, या

(ख) विधि या लोक प्रशासन के क्षेत्र में प्रख्यात व्यक्ति न हो, या

(ग) कोई ऐसा ख्याति प्राप्त व्यक्ति न हो जो विधिक सेवा स्कीम के कार्यान्वयन से विशेष रूप से हितबद्ध हो।

4. सदस्यों की पदावधि और अन्य शर्तें

1. विनियम 3 के उप विनियम (2) के अधीन नामित सदस्यों की पदावधि दो वर्ष होगी और ऐसे सदस्य पुनः नामनिर्देशन के लिये पात्र होंगे।

2. विनियम 3 के उप विनियम (2) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्य को मुख्य न्यायाधीश द्वारा हटाया जा सकता है यदि वह :-

(क) समिति की तीन लगातार बैठकों में बिना पर्याप्त कारण के उपस्थित होने में असफल रहता है;

(ख) न्यायनिर्णीत दिवालिया हो;

(ग) किसी अपराध के लिये जिसमें मुख्य न्यायाधीश की राय में नैतिक अधमता अन्तर्ग्रस्त हो, दण्डित किया गया हो;

(घ) सदस्य के रूप में कार्य करने में शारीरिक या मानसिक रूप में सक्षम हो गया हो; या

(ङ) मुख्य न्यायाधीश की राय में उसने अपनी स्थिति का इस प्रकार दुरूपयोग किया है जिससे सदस्य के रूप में उसके बने रहने से जनहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो;

परन्तु किसी भी सदस्य को समिति से खण्ड (क) (घ) या (ङ) के अधीन नहीं हटाया जायेगा जब तक कि उसकी सुनवाई का अवसर न दे दिया जाय।

3. कोई सदस्य मुख्य न्यायाधीश को सम्बोधित स्वहस्ताक्षरित

पत्र द्वारा समिति की सदस्यता से त्याग-पत्र दे सकता है और यह त्याग पत्र उस दिनांक से प्रभावी होगा जिस दिनांक को मुख्य न्यायाधीश द्वारा इसे स्वीकृत किया जाय।

4. यदि विनियम 3 के उप विनियम (2) के अधीन नाम निर्दिष्ट कोई सदस्य किन्हीं कारणों से सदस्य नहीं रह जाता है तो रिक्ति को इस विनियम में दी गयी रीति से उस व्यक्ति जिसके स्थान पर नामनिर्दिष्ट किया जाय, की अवशेष अवधि के लिये भरा जायेगा।

(5) विनियम 3 के उपविनियम (2) के अधीन नामनिर्दिष्ट समस्त गैर सरकारी सदस्य समिति के कार्य के सम्बन्ध में की गयी यात्राओं के लिये राज्य सरकार के समूह "क" के अधिकारी को अनुमन्य दरों पर यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ते पाने के हकदार होंगे।

5. समिति के कृत्य

1. समिति का यह कर्त्तव्य होगा कि वह केन्द्रीय प्राधिकरण और राज्य प्राधिकरण द्वारा बनाई गई और अपेक्षित विधिक सहायता, विधिक सलाह और विधिक सेवाओं की नीतियों, कार्यक्रमों और योजनाओं को कार्यान्वित करें।

2. समिति सभी या इनमें से किसी कृत्य का पालन करेगी, अर्थात् :-

(क) अधिनियम या नियमावली के अधीन इस प्रयोजन के लिए पात्र व्यक्तियों को विधिक सहायता, विधिक सलाह और विधिक सेवा प्रदान करना;

(ख) उच्च न्यायालय के वादों के लिए लोक अदालत का आयोजन और संचालन करना; और

(ग) वादों को बातचीत, मध्यस्थता और सुलह द्वारा निस्तारित करने के लिए प्रोत्साहित करना।

* 5क. उपसमिति का गठन

(क) 1. समिति अपने कृत्यों के दक्षतापूर्ण पालन करने के लिये उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ में उपसमिति का गठन कर सकती है।

2. उपसमिति में समिति के ऐसे सदस्य होंगे जैसे अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित किये जायें।

3. उपसमिति, समिति के ऐसे कृत्यों का, जैसा समिति द्वारा समय-समय पर उसे न्यस्त किया जाय, पालन करेगी।

* उ.प्र. सरकारी गजट अधिसूचना सं. 39/एस.एल.एस.ए.-104/97 Dt 11.9.1997.

4. उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ, लखनऊ का एक अधिकारी, जो संयुक्त निबन्धक की पंक्ति से नीचे का न हो और जो उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा का सदस्य हो, अध्यक्ष द्वारा उच्च न्यायालय के ऐसे अधिकारी के रूप में उप समिति के सचिव का कार्य करने के लिये नियुक्त किया जा सकता है। उसे उप समिति के सचिव के कृत्यों के पालन और कर्त्तव्यों के निर्वहन के लिये एक हजार रुपये प्रतिमास मानदेय दिया जा सकता है।

6. समिति का सचिव

1. उच्च न्यायालय का अधिकारी जो संयुक्त निबन्धक की पक्ति से नीचे का न हो और जो उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक मेवा का सदस्य हो, को मुख्य न्यायाधीश द्वारा उच्च न्यायालय के ऐसे अधिकारी के रूप में समिति के सचिव का कार्य करने के लिए नियुक्त किया जा सकता है। उसे सचिव के कृत्यों के पालन और कर्तव्यों के निर्वहन के लिए 1,000 रूपये प्रतिमान का मानदेय दिया जा सकता है।

2. सचिव, समिति का मुख्य अधिकारी होगा और वह :-

(क) समिति की समस्त आस्तियों, लेखों, अभिलेखों और निधियों का अभिरक्षक होगा और अध्यक्ष के पर्यवेक्षण और निर्देशन के अधीन कार्य करेगा;

(ख) समिति की निधियों की प्राप्तियों और सवितरणों का सही और उचित लेखा ऐसे रूप में और ऐसी रीति से जैसा राज्य प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय रखेगा या रखवायेगाः

(ग) ऐसी शक्तियों का प्रयोग, कृत्यों का पालन और कत्र्तव्यों का पालन और कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जैत्ता अध्यक्ष द्वारा उसे सौंपा जाय;

(घ) समिति के कृत्यों और कर्त्तव्यों के दक्ष और उचित पालन और निर्वहन के लिए सभी अन्य कार्यों को करेगा, जो समीचीन और आवश्यक हो।

7. समिति के कारबार का संव्यवहार

1. समिति की बैठक साधारणतया प्रत्येक तीन माह में एक बार ऐसे दिनाँक को और ऐसे स्थान पर होगी जो सचिव द्वारा अध्यक्ष के पुर्वानुमोदन से निश्चित किया जाय।

2. (क) सभी नीतिगत और अन्य महत्वपूर्ण मामलों को समिति के समक्ष उसके विचारण और विनिश्चय के लिए लाया जायेगा।

(ख) समिति द्वारा सामान्यतः या अन्यथा उसके समक्ष प्रस्तुत किये जाने के लिये वांछिया अपेक्षित किसी विशिष्ट मामले या मामलों को समिति के समक्ष विचारण और विनिश्चय के लिये प्रस्तुत किया जायेगा;

(ग) समिति की बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा की जायेगी;

(घ) अध्यक्ष को सम्मिलित करते हुए सात सदस्य किसी बैठक की गणपूर्ति होंगे;

(ङ) समिति की प्रत्येक बैठक के लिये सदस्यों को बैठक में उपस्थित होने के लिये कम से कम दो सप्ताह को नोटिस दी जायेगी, तथापि अध्यक्ष के निर्देशानुसार, अल्प सूचना पर आपाती बैठक बुलायी जा सकती है;

(च) आपाती मामलों के सम्बन्ध में अध्यक्ष, समिति की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन और कर्तव्यों का निर्वहन कर सकते हैं तथापि ऐसे सभी मामलों को समिति के समक्ष उसे सूचनार्थ और अनुमोदनार्थ रखा जायेगा।

3. एक या अधिक व्यक्ति, जो समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान में लगे हुये या हितयद्ध हों, जो अध्यक्ष द्वारा उपयुक्त उद्देश्य से किसी बैठक के लिये आमंत्रित किये जा सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को ऐसी बैठक में मत देने का अधिकार न होगा।

4. समिति स्वयं अपनी प्रक्रिया विनियमित करेगी।

5. समिति को बैठक में सभी प्रश्नों का विनिश्चय उपस्थित और मतदान कर रहे सदस्यो के बहुमत द्वारा किया जायेगा और मतों के बराबर होने की दशा में बैठक की अध्यक्षता कर रहे व्यक्ति का द्वितीय या निर्णायक मत होगा।

6. प्रत्येक बैठक की कार्यवाहियों के कार्यवृत्त सचिव द्वारा सही, निष्ठापूर्वक अभिलिखित किया जायेगा। कार्यवृत्त की प्रति बैठक के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र मुख्य न्यायाधीश और राज्य प्राधिकरण को प्रेपित की जायेगी।

8. समिति की निधियां लेखे और लेखा परीक्षा

1. समिति की निधि में निम्नलिखित होंगे; अर्थात् -

(क) अधिनियम के प्रयोजनों के लिये समिति को राज्य प्राधिकरण द्वारा भुगतान किये गये धन या दिये गये अनुदान की समरत राशियां;

(ख) अधिनियम के प्रयोजनों के लिये कोई अनुदान या दान, जो

समिति को किसी व्यक्ति द्वारा राज्य प्राधिकरण को सूचित करते हुये दिया जाय;

(ग) कोई अन्य धनराशि जो किसी न्यायालय के आदेशों के अधीन या किसी अन्य श्रोत से समिति द्वारा प्राप्त किया जाय।

2. समिति की निधियों का रख-रखाव समिति द्वारा अनुमोदित किसी अनुसूचित बैंक में किया जायेगा। सचिव समिति के बैंक खाते को अध्यक्ष के निर्देशानुसार चलायेगा।

3. विधिक सहायता, विधिक सलाह या अन्य विधिक सेवाओं के सभी खर्चों के साथ-साथ समिति के विभिन्न कृत्यों के निष्पादन के लिये आवश्यक खर्चों को समिति की निधियों से वहन किया जायेगा।

4. समिति का लेखा उचित रूप से और धारा 18 के उपबन्धों के अधाधीन रहते हुये ऐसी रीति से जैसी केन्द्रीय या राज्य प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित की जाय रखा जायेगा।

अध्याय तीन

विधिक सेवायें

9. विधिक सेवायें दिये जाने का मानदण्ड

1. उच्च न्यायालय या केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, इलाहावाद और लखनऊ में और राजस्व परिषद्, इलाहाबाद और लखनऊ में या किसी विधि के अधीन इलाहाबाद में न्यायिक कृत्यों के प्रयोग के लिए गठित जिला न्यायालयों से भिन्न किसी अन्य प्राधिकरण के समक्ष मामलों में समिति द्वारा विधिक सहायता, विधिक सलाह या अन्य विधिक सेवायें प्रदान की जा सकती हैं।

2. कोई व्यक्ति विधिक सहायता, विधिक सलाह या अन्य विधिक सेवाओं का हकदार होगा यदि वह व्यक्ति :-

(क) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य हैं;

(ख) संविधान के अनुच्छेद 23 में यथानिर्दिष्ट मानव दुर्व्यापार या बेगार का सताया हुआ है;

(ग) स्त्री या बालक है;

(घ) मानसिक रूप से अस्वस्थ या अन्यथा असमर्थ है;

(ङ) अनपेक्षित अभाव जैसे बहुविनाश, जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकम्प या औद्योगिक विनाश की दशाओं के अधीन सताया हुआ व्यक्ति है; या

(च) काई औद्योगिक कर्मकार है; या

(छ) अभिरक्षा में है, जिसके अन्तर्गत अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खण्ड (छ) के अर्थ में किसी संरक्षण गृह में, या किशोर न्याय अधिनियम, 1986 की धारा (2) के (न) के अर्थ में किसी किशोर गृह में, यां मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 की धारा 2 के खण्ड (छ) के अर्थ में किसी मनोश्चिकित्सीय अस्पताल या मनश्चिकित्सीय परिचर्या गृह में अभिरक्षा में रखा गया व्यक्ति भी है; या

(ज) सभी स्रोतों से वार्षिक आय 25,000/- रूपये तक या नियमावली के नियम 16 के अधीन समय-समय पर यथानियत उच्चतर धनराशि प्राप्त करता हो;

10. विधिक सहायता विधिक सलाह या विधिक सेवायें प्रदान करने से इन्कार किया जाना

1. विधिक सहायता, विधिक सलाह या विधिक सेवायें प्रदान करने से;

(क) किसी व्यक्ति को न्यायालय की अवमानना के मामले में;

(ख) किसी व्यक्ति को किसी निर्वाचन से सम्बन्धित कार्यवाही में;

(ग) मानव का दुर्व्यापार के पीड़ित के सिवाय अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 के अधीन कार्यवाहियों में;

(घ) सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के अधीन कार्यवाहियों में सिवाय किसी व्यक्ति के जो इस अधिनियम के अधीन किसी निर्योग्यता के अधीन रखा गया हो;

(ङ) किसी व्यक्ति को जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अधीन किये गये किसी अपराध का अभियुक्त हो; इन्कार किया जा सकता है।

2. मानहानि या विद्वेषपूर्ण अभियोजन के किसी मामले के संबंध में भी विधिक सेवाओं से इन्कार किया जा सकता है जहां सचिव का समाधान हो जाय कि यह तथ्यों की पूर्णता में ऐसे इन्कार किये जाने का उपयुक्त मामला हैः

प्रतिबन्ध यह है कि इस विनियम के अधीन विधिक सेवायें प्रदान करने से इन्कार किये जाने के पूर्व विधिक सेवायें प्रदान करने से इनकार करने के कारणों को अभिलिखित किया जायेगा और अध्यक्ष का आदेश प्राप्त किया जायेगा।

11. विधिक सेवायें प्रदान करने के ढंग

निम्नलिखित किसी एक या अधिक ढंग से विधिक सेवायें प्रदान की जा सकती है अर्थात

क. न्याय शुल्क, आदेशिका शुल्क और किसी विधिक कार्यवाही के सम्बन्ध मे देय या उपगत अन्य प्रभारों के भुगतान के प्रति;

ख. किसी विधि व्यवसायी के नियुक्ति के माध्यम से;

ग. विधिक कार्यवाहियों में निर्णय, आदेश और अन्य दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने और उपलब्ध कराने के लियेः

प्रतिबन्ध यह है कि न्याय शुल्क, आदेशिका और अन्य खौ के भुगतान राज्य प्राधिकरण के सामान्य आदेशों की सीमा तक ही स्वीकृत होंगे।

12. विधिक सेवाओं के लिये आवेदन पत्र

1. विधिक सहायता, विधिक सलाह या विधिक सेवाओं की अपेक्षा करने वाला कोई व्यक्ति सचिव को सम्बोधित आवेदन पत्र दे सकता है।

2. समिति आवेदन पत्रों का एक रजिस्टर रखेगी जिसमें विधिक सहायता, विधिक सलाह या विधिक सेवाओं के लिये सभी आवेदन पत्र अंकित और रजिस्ट्रीकृत किये जायेंगे और ऐसे आवेदन पत्रों पर की गयी कार्यवाही प्रत्येक ऐसे आवेदन पत्र से सम्बन्धित प्रविष्टि के सामने अंकित की जायेगी।

13. आवेदन पत्रों का निस्तारण

1. विधिक सहायता, विधिक सलाह या विधिक सेवाओं के लिये कोई आवेदन पत्र प्राप्त होने पर सचिव आवेदन पत्रों की संवीक्षा अपना यह समाधान करने के लिये कि वह जहां तक पात्रता और नियमावली और विनियमावली की अन्य अपेक्षाओं का सम्बन्ध है, ठीक है करेगा और जहां कहीं आवश्यक हो आवेदक से यथावश्यक अग्रतर सूचना प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगा।

2. सचिव आवेदन पत्र पर विचार करेगा और विधिक सहायता, विधिक सलाह या अन्य विधिक सेवाओं को दिये जाने या दिये जाने से इन्कार करने के लिये आवश्यक आदेश पारित करेगाः

प्रतिबन्ध यह है कि जहां आवेदन पत्रों को अस्वीकार करने का प्रस्ताव किया जाय तो वहां ऐसा करने के कारणों को इस प्रयोजन के

लिये रखे गये आवेदन पत्रों के रजिस्टर में सम्यक रूप से अभिलिखित किया जायेगा।

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि किसी व्यक्ति को विधिक सहायता, विधिक सलाह या विधिक सेवाओं से इन्कार किये जाने के पूर्व अध्यन का आदेश प्राप्त किया जायेगा।

3. विधिक सहायता, विधिक सलाह या विधिक सेवाओं के लिये कोई आवेदन पत्र स्वीकृत नहीं किया जायेगा। यदि सचिव का समाधान हो जाय कि :-

(क) आवेदक ने अपने साधनों के सम्बन्ध में या किसी अन्य सारवान तथ्य के सम्बन्ध में जानबूझकर गलत विवरण दिया है या गलत सूचना दी है

(ख) यथास्थिति, कार्यवाहियों को संस्थित करने या उनका प्रतिवाद करने के लिए कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं हैं; या

(ग) आवेदन पत्र तुच्छ या तंग करने वाला है;

(घ) इस विनियमावली के अधीन आवेदक उसका हकदार नहीं है;
या

(ङ) मामले की समस्त सुसंगत तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, इसे स्वीकृत करना अन्यथा समीचीन और युक्तियुक्त नहींः

परन्तु उपर्युक्त किन्हीं खण्डों के अधीन किसी आवेदन पत्र के अस्वीकृत किये जाने के पूर्व अध्यक्ष का आदेश प्राप्त किया जायेगा।

14. सहायता प्राप्त व्यक्ति का कर्त्तव्य

प्रत्येक सहायता प्राप्त व्यक्ति या उसका प्रतिनिधि, जब कभी सचिव या सम्बद्ध अधिवक्ता द्वारा अपेक्षा की जाय, समिति के कार्यालय में उपस्थित, होगा और ऐसे विवरण या सूचना, जैसी आवश्यक समझी जाय, देगा और प्रस्तुत करेगा और इस प्रकार अपेक्षित विवरण या सूचना को पूर्ण रूप से प्रकट करेगा। वह न्यायालय या कार्यवाहियों में अपने खर्चे पर उपस्थित होगा।

15. पात्रता का प्रमाण पत्र

1. जहां विधिक सहायता, विधिक सलाह या विधिक सेवाओं के लिये कोई आवेदन पत्र स्वीकृत कर लिया जाय तो आवेदक के पक्ष में उसे किसी कार्यवाही के सम्बन्ध में विधिक सहायता, विधिक सलाह या विधिक सेवाओं का हकदार करते हुए एक पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा।

2. यदि विधिक सहायता, विधिक सलाह या विधिक सेवायें वापस ले ली जाती हैं तो पात्रता प्रमाण पत्र निरस्त हो जायेगा, ऐसे प्रत्येक मागले में अधिवक्ता जिसे सम्बन्धित व्यक्ति का मामला समनुदेशित किया गया है और साथ ही न्यायालय या न्यायिक या न्यायिक कल्प प्राधिकरण जिसके समक्ष मामला लम्बित है, को भग तद्नुसार लिखित रूप में सूचित किया जायेगा।

16. पात्रता प्रमाण पत्र का निरस्तीकरण

1. समिति या तो अपनी स्वप्ररेणा से या अन्यथा निम्नलिखित परिस्थितियों में विनियम 15 के अधीन दिये गये पात्रता प्रमाण पत्र को निरस्त कर सकती है, अर्थात् :-

क. यह पाये जाने की दशा में कि सहायता प्राप्त व्यक्ति द्वारा पात्रता प्रमाण पत्र दुर्व्यपदेशन या कपट द्वारा प्राप्त किया गया है;

ख. सहायता प्राप्त व्यक्ति की परिस्थितियों में किसी कोई सारवान परिवर्तन होने की दशा में।

ग. कार्यवाहियों के दौरान सहायता प्राप्त व्यक्ति की ओर से किसी अवचार, दुर्व्यवहार या उपेक्षा की दशा में;

घ. सहायता प्राप्त व्यक्ति द्वारा समिति के साथ या समिति द्वाग उपलब्ध कराये गये अधिवक्ता के साथ सहयोग न किये जाने की दशा में;

ङ. सहायता प्राप्त व्यक्ति द्वारा अपने व्यय पर किसी अधिवक्ता को नियुक्त किये जाने की दशा में, जो सचिव की राय में मामले की उपयुक्त रूप से देख-भाल कर सकता है;

च. सहायता प्राप्त व्यक्ति की मृत्यु की दशा में सिवाय सिविल कार्यवाहियों के मामले में जहां अधिकार या उत्तरादायित्व उत्तरजीवित हों, ऐसी दशा में विधिक सहायता जारी रखी जा सकती है जहां विधिक प्रतिनिधि भी ऐसी सहायता के लिए पात्र हैं।

2. सहायता प्राप्त व्यक्तियों या उसकी मृत्यु की दशा में उसके विधिक प्रतिनिधि को बिना कारण बताने का अवसर दिए, कि प्रमाण पत्र क्यों न निरस्त कर दिया जाय, खण्ड (1) के अधीन कोई पात्रता प्रमाण पत्र निरस्त नहीं किया जायेगा।

3. जहां सहायता प्राप्त व्यक्ति का पात्रता प्रमाण पत्र उप विनियम (1) के अधीन निरस्त कर दिया जाय वहां विधिक सहायता, विधिक सलाह या विधिक सेवायें रोक दी जायेंगी और ऐसी विधिक

सहायता, विधिक सलाह या विधिक सेवाओं के लिए पहले से दी गई धनराशि पूरी या आंशिक, जैसा कि अध्यक्ष के अनुमोदन से सचिव द्वारा विनिश्चित किया जाय, वसूल की जा सकती है।

17. पैनल के विधि व्यवसायी को देय फीस या मानदेय

1. समिति द्वारा उपयुक्त अधिवक्ताओं का, जो ऐसे व्यक्तियों की ओर से जिनके पक्ष में पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया गया है मामलों या कार्यवाहियों को संचालित करने को सहमत हों, का एक पैनल तैयार किया जायेगा। सामान्यतः ऐसा तैयार किया गया पैनल दो वर्ष के लिए विधिमान्य होगा। इस प्रकार तैयार किए गए पैनल की एक प्रति राज्य प्राधिकरण को सूचना, सलाह और निर्देश, यदि कोई हो, के लिए भेजी जायेगी। ऐसे अधिवक्ताओं को राज्य प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर यथा अवधारित दर पर फीस या मानदेय का भुगतान किया जायेगा। जब तक इस प्रकार अवधारित न किया जाय, राज्य सरकार के सुसंगत आदेशों के अधीन इस प्रयोजन के लिए निर्धारित फीस या मानदेय की दरें जारी रहेंगी।

2. कोई विधि व्यवसायी जिसे विधिक सहायता, विधिक सलाह या विधिक सेवाओं के लिये कोई मामला समनुदेशित किया गया है, किसी सहायता प्राप्त व्यक्ति या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति से कोई फीस या पारिश्रमिक चाहे नकद या वस्तु रूप में कोई अन्य लाभ, आर्थिक या अन्यथा प्राप्त नहीं करेगा।

3. पैनल का कोई विधि व्यवसायी, जिसने सहायता प्राप्त व्यक्ति की ओर से उसके द्वारा संचालित की गयी विधिक कार्यवाहियों के सम्बन्ध में अपना समनुदेशन पूरा कर लिया है, देय फीस या मानदेय को दर्शाते हुए एक विवरण प्रस्तुत करेगा, जिस पर सचिव सम्यक संवीक्षा और अध्यक्ष को अनुमोदन के पश्चात सम्बन्धित अधिवक्ता को भुगतान की जाने वाली धनराशि स्वीकृत करेगा।

4. किसी अधिवक्ता को बिना कोई फीस या मानदेय लिये विधिक सहायता, विधिक सलाह या विधिक सेवा प्रदान करने की अनुमति दी जा सकती हैं।

5. अध्यक्ष, उपयुक्त मामलों से किसी अधिवक्ता को, जो पैनल में नहीं है किसी मामले को दाखिल या प्रतिवाद करने के लिये नियुक्त कर सकता है।

सी.पी. मिश्रा
सदस्य सचिव,
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ